

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 527]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2021—पौष 9, शक 1943

पशुपालन एवं डेयरी विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2021

क्र. 3327 आर. 4044-2021-पैतीस.—राज्य सरकार द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अध्याय-पांच की धारा 33(2) के अनुकरण में स्कूल ऑफ वाइल्ड लाईफ फॉरेंसिक एण्ड हेल्थ, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में स्थित "वन्य प्राणी फॉरेंसिक एवं वन्य प्राणी रोग नैदानिक प्रयोगशाला" को वन्य प्राणी रोग निदान हेतु राज्य स्तरीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है.

No. 3327-4044-2021-XXXV.—In exercise of powers conferred by Rule 33(2) in Section-V of Madhya Pradesh Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009, Government of Madhya Pradesh, hereby, recognizing the School of Wild life forensic and health situated in Nanaji Deshmukh Veterinary Science University, Jabalpur (M.P.) as State level "wild animal forensic and disease diagnosis lab" for wild animal.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव.